न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 112/2016

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह
R.A.S.

भगवानसिंह उर्फ भड़डा बनाम बनैसिंह वगैराह

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा में <u>प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021</u>

उपस्थितः–1. श्री पी0एल0गोयल एडवोकेट प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01
2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिंनाक :– 14-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 11.10.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी के द्वारा एक दावा भगवानसिंह बनाम बनैसिंह आदि दिनांक 03.08.2012 को न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन के यहॉ दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसका मुकदमा नं0 155/2012 था तथा उक्त दावा हाजा के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह दिनांक 03.08.2012 को पेश किया था जिसका मुकदमा नं0 96/2012 था।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित दावा मुकदमा [illegible] 155/2012 एवं प्रार्थना पत्र टी0आई0 मुकदमा नं0 96/2012 का दिनांक 08.07.20[illegible] को [illegible] व लोक अदालत शिविर में दोनों पक्षों की [illegible] राजीनामा हो गया एवं दोनों पक्षकारों ने उक्त दावा हाजा व प्रार्थना पत्र टी0 आई0 की ऑर्डरशीट दिनांक 08.07.2016 पर अपनी सहमति व राजी[illegible] होने के बाबत् अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं उक्त दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

राजस्व लोक अदालत शिविर में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता होने पर राजीनामा के आधार पर फैंसल कर दाखिल दफ्तर फरमा दिये।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी ने बराये बदयान्ति जानबूझकर पूर्व में हुए मुकदमों में राजीनामा के आधार पर फैंसल होने का इल्म होते हुए भी दिनांक 20.07.2016 को पुनः न्यायालय में एक दावा उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह व साथ में एक प्रार्थना पत्र टी0आई0 पूर्व में फैंसल हुए मुकदमों में वर्णित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में ही पूर्व में फैंसल हुए मुकदमों की रिलीफ लेते हुए पेश कर दिये,जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में राजस्व लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से राजीनामा हो गया एवं राजीनामा के आधार पर मुकदमा दिनांक 08.07.2016 को न्यायालय हाजा द्वारा फैंसल कर दिये गये हैं। इसलिए उक्त दावा हाजा कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर फैंसल हुए मुकदमों की कानूनन ना तो कोई अपील की जा सकती है और ना ही सेम नेचर का एवं सेम रिलीफ का वही पक्षकार पुनः दावा हाजा दायर नहीं कर सकते हैं एवं न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य विवाद का पूर्व में ही राजीनामा के आधार पर राजस्व लोक अदालत में निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी सूरत में उक्त दावा हाजा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी/ अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना [illegible] .2021 का जबाव पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया [illegible] कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 155/2012 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 96/2012 का निर्णय समस्त पक्षकारान की सहमति व स्वीकृति से नहीं हुआ है और ना ही दावे में चाही गई दादरसी भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा वादी को प्रदान की गई है। पक्षकारान के मध्य विवाद बदस्तूर चला आ रहा है। विवाद का निस्तारण सहखातेदारी की भूमि के विधिवत विभाजन/ अलग अलग खाते व लगान का निर्धारित व अक्स सीट में अलग अलग खातेदारी अनुसार तरमीम/ डिमार्केशन होने के बाद ही सम्भव होगा।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है व स्वीकार नहीं है। वादी की ओर से चाही गई सहायता के लिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विधि अनुसार सद्भाविक स्वरूप से स्वच्छ आचरण के आधार पर पेश किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। वादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत दावे में चाही गई सहायता न्यायालय हाजा द्वारा आज तक प्रदान नहीं की गई है, इसलिए पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा का कोई महत्व/ औचित्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि एवं नियम विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण खारिज होने योग्य है, प्रतिवादी की ओर से की गई आपत्ति को वह जबाव दावे में लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिवादी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज किये जाने के कई वर्षों तक जबाव हेतु तारीख पेशी लेने के [illegible] अपना जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है और प्रकरण के निस्तारण को लम्बा करने की नियत से विधि एवं नियम विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी बनैसिंह अत्यन्त चतुर,चालाक व बेईमान प्रवृति का व्यक्ति है, वह हल्का पटवारी के साथ हल्का पटवारी की मददगार के रूप में रहकर अनुचित लाभ लेता चला आ रहा है, बनैसिंह ने वादी को बहकाकर व अपने विश्वास में लेकर तथाकथित राजीनामें को बिना सुनाये व समझाये हस्ताक्षर करवाये हैं, कि जिसे वादी स्वीकार नहीं करता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 पर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।प्रार्थी/प्रतिवादी सं01 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 155/2012 दावा उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगैराह में आदेशिका दिनांक 08.07.2016 में अंकन है कि राजस्व लोक अदालत फोलोअप शिविर में वादी एवं प्रतिवादी सं01 उपस्थित। जिन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि इस प्रकरण को हम नहीं चलाना चाहते। आपसी सहमति से निस्तारण कर लेंगे। दोनों ने उपस्थित होकर बताया कि [illegible] सहमति हो [illegible] दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जा[illegible]।

नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन [illegible]दमा नं0 155/2012 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगैराह दा[illegible] बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार भगवानसिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाहने बाबत् पेश किया था।

नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 96/2012 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार भगवानसिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0, 323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन में अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाहने बाबत् पेश किया था।

नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 96/2012 प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह में आदेशिका दिनांक 08.07.2016 में अंकन है कि राजस्व लोक अदालत फोलोअप शिविर में पेश हुई। सायल एवं गैरसायल उपस्थित हुए। दोनों ने आपसी समझौता में राजीनामा सहमति पर होना बताया। प्रकरण नहीं चलाने की इस्तदुआ की। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली में कार्यवाही बन्द की जाती है। फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दाखिल दफ्तर हो। उक्त आदेशिका पर भगवानसिंह व बनैसिंह के हस्ताक्षर हैं।

नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन कैम्प कोर्ट का स्थान – अटल सेवा केन्द्र शेरपुर मुकदमा नं0 [illegible] उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगैराह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी नि[illegible] के [illegible]त्र में दिनांक 08.07.2016 को आवेदन पत्र पेश कर [illegible] है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/ समझौता करना चाहता है। इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते हैं। कार्यवाही बन्द करें। उक्त प्रकरण अनुसारतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निस्तारित करने की कृपा करें। उक्त आवेदन पत्र पर भगवानसिंह व बनैसिंह के हस्ताक्षर हैं।

वादी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के यहाँ मुकदमा नं0 112/2016 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगेराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0, 323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाहने बाबत् पेश किया है तथा दावा के साथ ही मुकदमा नं0 96/2012 प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह उक्त आराजीयात के बाबत् पेश किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0, 323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन के बाबत् पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के यहाँ मुकदमा नं0 155/2012 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 96/2012 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जो पक्षकारान के मध्य दिनांक 08.07.2016 को हुए राजीनामा / समझौते के आधार पर उक्त दोनों प्रकरणों को दिनांक 08.07.2016 को खारिज कर दिया गया है। वादी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के यहाँ मुकदमा नं0 112/2016 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगेराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0, 323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाहने बाबत् पेश किया है तथा दावा के साथ ही मुकदमा नं0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

96/2012 प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह उक्त आराजीयात के बाबत् पेश किया है। इस प्रकार समान आराजीयात, समान विषय वस्तु एवं समान पक्षकार एवं समान रिलीफ के लिए पुनः दावा पेश नहीं किया जा सकता है। वादी के द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को राजीनामा के आधार पर निस्तारण होने के मात्र 17 दिवस के बाद ही पेश कर दिये हैं। यदि वादी को उक्त राजीनामा से एतराज था तो उसकी अपील सक्षम न्यायालय में करता। इस प्रकार वादी के द्वारा न्यायालय हाजा में पुनः वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर अर्थात सैक्शन 11 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हालात में प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 की ओर दिनांक 11.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार वादी का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होते हैं।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 की ओर से दिनांक 11.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा नं0 112/2016 उनवानी भगवानसिंह बनाम बनैसिंह वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.19 है0, 323 रकबा 0.20 है0, 324 रकबा 0.30 है0, 334 रकबा 0.11 है0, 335 रकबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली हाल तहसील सूरौठ जिला करौली को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर अर्थात सैक्शन 11 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....14-3-2022....... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:26 IST
Reason: Self Attested